प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पत्रांक 9597 / रा0स्वा0बी0यो0 / पत्रा–93 / 2011–12लखनऊ:दिनांक 08 दिसम्बर, 2011

महोदय,

कृपया संलग्न सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपके जनपद के नाम के सम्मुख प्रथम स्तम्भ में खाता संख्या और उसके बाद वाले स्तम्भ में बैंक का नाम लिखा गया है। यह विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जिला बीमा समिति के खाते का है, जिसका संचालन जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना है। मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थान पर पूर्व में जिला विकास अधिकारी संचालित करने के लिए जिला बीमा समिति के सचिव के हैसियत से अधिकृत थे। शासनादेश सं0 यू0ओ0–13(ii) / 5–1–11–01–आरएसबीवाई / 2011टी0सी0–I दिनांक 05.08.2011 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को जिला बीमा समिति का सचिव बनाया गया है और तदोपरान्त परिचालन हेतु अधिकृत व प्रमाणित हस्ताक्षर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से सम्बन्धित बैंक में भेजे जाने की अपेक्षा की गयी थी, जो सम्भवतः पूरा कर लिया गया था, जिला बीमा समिति की क्रियाकलापों में राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा भविष्य में कुछ धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उलपब्ध करायी जायेगी, जिसके लिए बैंक के विवरण का निरन्तर आवश्यकता है।

कृपया इस खाते में जारी किये गये चेक की स्कैण्ड कॉपी लौटती ई–मेल से उलपब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आवश्यक धनराशि इस खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके।

उक्त अनुपानल कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 अवधेश कुमार) 8/12
अपर निदेशक / नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,0|c

पत्रांक 9597 / रा0स्वा0बी0यो0 / 2011–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अवधेश कुमार)
अपर निदेशक / नोडल अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,0|c

8/12/2011